न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-- श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30 / प्रा.पत्र रेफ. / 2012	20.09.2012	21.05.2018

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) -- प्रार्थी

-- बनाम --

सुखी बेवा रूघनाथ, बजरंगी, रामकन्या पुत्री रूघनाथ, राधेश्याम, सीताराम, राजाराम, प्रेम बेवा चंदना जाति माली निवासी सहण, तहसील नैनवां जिला बून्दी।

-- अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 (2)
राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम--1956

उपस्थित :--

प्रार्थी की ओर से -- पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से -- श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक।

--: निर्णय :--

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, नैनवां ने अन्तर्गत धारा 82 (2) भू--राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 20.09.2012 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सहण तहसील नैनवां, जिला बून्दी का खसरा नम्बर 500 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015--2018 में किस्म नाला राजकीय दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि में से भू प्रबन्ध सम्वत् 2028--47 में नवीन खसरा संख्या 553 रकबा 07 बिस्वा भूमि को खातेदारी में अंकित करने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। अप्रार्थीगण के खाते में अंकित की गई भूमि एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 29.05.2012 के विपरित अप्रार्थीगण के नाम अंकित होने से निरस्त योग्य है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के मध्य नजर रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज उक्त भूमि को खाते से निरस्त फरमाया जाकर पूर्ववत स्थिति अनुसार किस्म नाला राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क पेश किये कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015--2018 में किस्म नाला दर्ज थी जो पानी के बहाव के काम में आती थी। भूमि की किस्म नाला होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विपरित भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी दी गई है। जो नियम विरूद्व है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को भिजवाया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि वर्तमान में उक्त विवादित भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी में अंकित है। वर्तमान में मौके पर कोई नाला नहीं है। मौके पर काश्त हो रही है तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थी तहसीलदार ने मौके पर कोई जॉच नहीं की गई है बिना जॉच किये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार व उसके साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक पर मनन किया। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015--2018 में खसरा नम्बर 500 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा किस्म नाला दर्ज थी। उक्त भूमि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 553 रकबा 07 बिस्वा अप्रार्थीगण के खातेदारी में शामिल होकर अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी दी गई है। जो नियम विरूद्व है। नाला माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या--11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 में ऐसी भूमियों पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है एवं खातेदारी निरस्त किये जाने के निर्देश है। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विपरित भी खातेदारी अधिकार दिये गये है जो निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान खसरा संख्या 553 रकबा 07 बिस्वा वाके ग्राम सहण तहसील नैनवां को पूर्व की भांति किस्म नाला राजकीय भूमि दर्ज करने के लिये प्रकरण (प्रा.पत्र रेफरेन्स) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील श्रीमान् निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान--अजमेर को भिजवाई जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)